

ART नयिमन: इलाज की लागत और गर्भधारण के अवसरों पर प्रभाव

प्रलमिस के लिये:

[सहायक प्रजनन प्रौद्योगिकी](#), [मौलिक अधिकार](#), इन वटिरो नषिचन

मेन्स के लिये:

सरकारी नीतियों और हस्तक्षेप, महिलाओं से संबंधित मुद्दे

चर्चा में क्यों?

हाल ही में स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा **सहायक प्रजनन प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2021** के प्रावधानों के तहत सीमा निर्धारण का निर्णय लेना चकित्सकों तथा दंपतियों के लिये चर्चा का विषय बन गया है।

- वैसे तो ये नयिमन दाताओं और रोगियों के लिये चकित्सा देखभाल और सुरक्षा बढ़ाने के उद्देश्य से बनाए गए हैं, परंतु ये ART उपचार की इच्छा रखने वाले दंपतियों के लिये इलाज की लागत में वृद्धि करते हैं और साथ ही गर्भधारण के अवसरों को भी सीमिति करते हैं।

सहायक प्रजनन प्रौद्योगिकी:

- ART से तात्पर्य उस विधि से है जिसमें गर्भावस्था के लिये किसी महिला के प्रजनन तंत्र में युग्मकों (Gametes) को स्थानांतरित किया जाता है।
- इसमें विभिन्न तकनीकें शामिल हैं, जैसे- इन वटिरो फर्टिलाइजेशन (IVF), इंटरसाइटोप्लास्मिक स्पर्म इंजेक्शन (ICSI), गैमेट डोनेशन, इंटरयूटरनि इनसेमिनेशन, प्री-इम्प्लांटेशन जेनेटिक टेस्टिंग, सरोगेसी।
- ART का उपयोग अक्सर उनके लिये किया जाता है जो बाँझपन, आनुवंशिक विकार तथा अन्य प्रजनन संबंधी चुनौतियों का सामना कर रहे हैं अथवा जनिकी प्रजनन प्रणाली विधिवित कार्य नहीं कर रही होती है।
- आमतौर पर ART प्रक्रियाओं में महिला के गर्भाशय में युग्मकों को स्थानांतरित करने से पहले प्रयोगशाला में शुक्राणुओं, अंडाणुओं अथवा भ्रूणों को प्रबंधित किया जाता है।

ART नयिमन अधिनियम, 2021 की मुख्य विशेषताएँ:

- पंजीकरण:** प्रत्येक ART क्लिनिक तथा बैंक को एक केंद्रीय डेटाबेस बनाए रखते हुए भारत के बैंकों और क्लिनिकों की राष्ट्रीय रजिस्ट्री के अंतर्गत पंजीकृत होना चाहिये।
 - पंजीकरण पाँच वर्षों के लिये वैध है और इसे अगले पाँच वर्षों के लिये नवीनीकृत भी किया जा सकता है।
 - अधिनियम के उल्लंघन के परिणामस्वरूप पंजीकरण रद्द या नलिंबति किया जा सकता है।
- शुक्राणुओं और अंडाणुओं को दान करने की शर्तें:** पंजीकृत ART बैंक, 21-55 वर्ष की आयु के पुरुषों के शुक्राणुओं की स्क्रीनिंग, संग्रह और भंडारण कर सकते हैं। इसके साथ ही 23-35 वर्ष की आयु की महिलाएँ अंडाणुओं का भंडारण कर सकती हैं।
- दाता की सीमाएँ:** एक अंडाणु (Oocyte) दाता को विवाहित महिला होना चाहिये, इसके साथ ही उनका अपना कम-से-कम एक जीवित बच्चा (न्यूनतम तीन वर्ष की आयु) होना चाहिये।
 - एक अंडाणु दाता अपने जीवनकाल में केवल एक बार दान कर सकती है, इसके साथ ही अधिकतम सात अंडाणु पुनः प्राप्त किये जा सकते हैं।
- युग्मक आपूर्ति:** एक ART बैंक एकल दाता से एक से अधिक कमीशनगि दंपति (सेवाएँ चाहने वाले दंपति) को युग्मक की आपूर्ति नहीं कर सकता है।
- माता-पिता के अधिकार:** ART के माध्यम से पैदा हुए बच्चों को दंपतिके जैविक शिशु माना जाता है और दाता के पास माता-पिता का कोई अधिकार नहीं होता है।

- **सहमति:** ART प्रक्रियाओं के लिये दंपति और दाता दोनों की लखित सूचित सहमति आवश्यक है।
 - **ART प्रक्रियाओं का नियमन:** [सरोगेसी अधिनियम, 2021](#) के तहत गठित राष्ट्रीय और राज्य बोर्ड ART सेवाओं को वनियमित करेंगे।
 - **बीमा कवरेज:** ART सेवाएँ चाहने वाले दंपतियों को **अंडाणु दाता के पक्ष में बीमा कवरेज प्रदान करना होगा**, जिसमें दाता की किसी भी हानि, क्षति या मृत्यु को कवर किया जाएगा।
 - **लगि चयन को रोकना:** भेदभावपूर्ण प्रथाओं को रोकने के लिये क्लीनिकों को किसी वशिष्ट लगि के शिशु का चुनाव करने की अनुमति नहीं है।
 - **अपराध:** अपराधों में ART के माध्यम से पैदा हुए शिशु का परत्याग या शोषण, भ्रूण की बिक्री या व्यापार और दंपति या दाता का शोषण शामिल है।
 - सज़ा में **8-12 वर्ष का कारावास और 10-20 लाख रुपए का जुर्माना शामिल है।**
 - क्लीनिकों और बैंकों को लगि-चयनात्मक ART का वजिआपन या पेशकश करने से प्रतबिधति किया गया है।
- इस प्रकार के अपराधों में **5-10 वर्ष का कारावास तथा 10-25 लाख रुपए का जुर्माना शामिल है।**

ART नियमन, 2021 के संबंध में चुनौतियाँ और चतियाँ:

- **अत्यधिक लागत:** बीमा, परीक्षण और पंजीकरण शुल्क जैसी अतरिकित आवश्यकताओं तथा नियमों के कारण **उपचार की लागत बढ़ सकती है।**
- **कम उपलब्धता:** दाताओं की संख्या और प्रतदाता चक्र पर सीमाओं के परणामस्वरूप **उपयुक्त दाताओं की कमी** हो सकती है जिससे दंपतियों के लयि मेल खाने वाले युग्मकों को खोजना कठनि हो जाता है।
 - भारत तथा वशि्व भर में **प्रजनन दर में गरिवट** आ रही है जिससे दानदाताओं की सीमति उपलब्धता एक महत्त्वपूर्ण चुनौती बन गई है।
- **उपयुक्त दाताओं को खोजने में चुनौतियाँ:** ये प्रतबिध डॉक्टरों एवं दंपतियों के लयि **वशिष्ट आवश्यकताओं** या प्राथमकिताओं को पूरा करने वाले दाताओं को खोजने में चुनौतियाँ उत्पन्न कर सकते हैं।
- **संभावति दाताओं को हतोत्साहन:** कानूनी एवं सामाजकि परणामों को लेकर चतिया के साथ ही **प्रोत्साहन की कमी संभावति दाताओं को ART प्रक्रिया में भाग लेने से हतोत्साहति कर सकती है।**

आगे की राह

- **सब्सिडी एवं साझेदारी** के माध्यम से सामर्थ्य को बढ़ाना।
- जागरूकता अभयानों एवं **सामुदायकि सहायता के माध्यम से दाता समूह का वसितार** किया जाना चाहयि।
- **केंद्रीकृत मंच और उन्नत प्रौद्योगिकी** के माध्यम से दाता मलिन को सुव्यवस्थति करना चाहयि।
- लागत प्रभावी उपचार हेतु **अनुसंधान एवं नवाचार को प्रोत्साहति** करना चाहयि।
- अधिकारों की रक्षा तथा नैतिक चतियाओं को दूर करने हेतु एक सहायक कानूनी ढाँचा विकसति किया जाना चाहयि।

UPSC सविलि सेवा परीक्षा, वगित वर्ष के प्रश्न

?????????:

प्रश्न. मानव प्रजनन प्रौद्योगिकी में अभनिव प्रगतिके संदर्भ में "प्राक्केन्द्रकि स्थानांतरण" (Pronuclear Transfer) का प्रयोग कसि लयि होता है। (2020)

- इन वटिरो अंड के नषिचन के लयि दाता शुक्राणु का उपयोग
- शुक्राणु उत्पन्न करने वाली कोशकिओं का आनुवंशकि रूपांतरण
- स्टेम (Stem) कोशकिओं का कार्यात्मक भ्रूणों में विकास
- संतान में सूत्रकणकि रोगों का नरीध

उत्तर: (d)

व्याख्या:

- **प्राक्केन्द्रकि स्थानांतरण/प्रोन्यूक्लियर ट्रांसफर** में प्रोन्यूक्लियर का एक युग्मनज से दूसरे युग्मनज में स्थानांतरण होता है। इस तकनीक के लयि पहले स्वस्थ दान कयि गए अंडे (सूत्रकणकि दाता द्वारा प्रदान कयि गया) के नषिचन की आवश्यकता होती है। इसके साथ ही इच्छुक माँ के प्रभावति अंडाणुओं को इच्छुक पति के शुक्राणु के साथ नषिचति कयि जाता है।
- 'मैटरनल स्पंडिल ट्रांसफर' नामक एक तकनीक का उपयोग करके मातृ DNA को दाता महिला के अंडे में डाला जाता है, जसि बाद में पति के शुक्राणु का उपयोग करके नषिचति कयि जाता है। यह प्रक्रया मौजूदा इन-वटिरो-फर्टलिाइजेशन (IVF) उपचारों में सहायता के लयि विकसति की गई थी, जसिमें माताओं को माइटोकॉन्ड्रयिल रोग होते हैं।
- मातृ DNA में उत्परविरतन सूत्रकणकि वाले रोग का एक कारण है, रोगों का एक वषिम समूह कभी-कभी शैशवावस्था या बचपन में भी समय से पहले मृत्यु का कारण बन सकता है। अधकिंश माइटोकॉन्ड्रयिल रोगों में वशिष्ट उपचार की कमी होती है और जनि महिलाओं में प्रेरक उत्परविरतन होता है, उनकी संतानों में रोग फैलने का खतरा अधकि होता है। **अतः विकल्प (D) सही उत्तर है।**

[स्रोत: द द्रि](#)

PDF Refernece URL: <https://www.drishtias.com/hindi/printpdf/art-regulations-impact-on-cost-and-conception-opportunities>

